फाइल सं0 9(1)2016/15वीं सीएसी/एन्फ/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

प्रवर्तन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की आयोजित 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 15वीं बैठक का आयोजन दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 को रोनक कक्ष, पीएचडी चैम्बर, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भाखासंमाप्रा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा की गई। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

2. निदेशक प्रवर्तन ने केंद्रीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के पश्चात बैठक की शुरुआत कार्यसूची के अनुसार प्रारम्भ हुई।

15.1 **हितों की घोषणा**

सदस्यों ने हितों की घोषणा का फार्म भरा और भाखासंमाप्रा के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया।

15.2 मद सं0 2

सीएसी की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसे अंगीकार किया गया।

15.3 मद सं0 3

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

3.1 दिनांक 04.06.2015 को हुई सीएसी की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई।

3.2 अध्यक्ष महोदय ने यह महसूस किया कि केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्रवाई की है।

3.2.1 यह निर्णय लिया गया कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्य संरक्षा योजना तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार के लाईसेन्स एवं पंजीकरण) अधिनियम में संशोधनों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 21.10.2015 तक का समय दिया जाना चाहिए।

3.2.2 वस्तुओं को सामान्य तौर पर सीज करने की प्रक्रिया को अन्तिम रुप देने के लिए कार्रवाई बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने समिति के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अनुरोध किया कि इस बिन्दु पर बैठक के अन्त में समिति के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करें।

3.2.3 नये भर्ती किये गये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के कार्रवाई बिन्दु पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि यदि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास नये भर्ती किये हुये खाद्य संरक्षा अधिकारी नहीं है तो वे वर्तमान अभिहीत अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए नामित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में स्वय पहल करनी चाहिए क्यों कि प्रशिक्षण एक अनवरत् चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भाखासंमाप्रा को प्रयोगशाला कार्मिकों, खाद्य व्यापारकर्ताओं के लिए नये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना चाहिए। गोवा, चण्डीगढ, पंजाब जैसे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने यह उल्लेख किया कि उन्होंने कुछ नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की है जिनको कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है और वे जल्द ही इस आशय का एक प्रस्ताव भाखासंमाप्रा को प्रेषित करेंगे।

3.2.4 अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि केन्द्रिय सलाहकार समिति की बैठक में कई राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की अनुपस्थिति के कारण बैठक में चर्चा किये गये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने में कठिनाई होती है।

3.2.5 श्री जॉर्ज चेरियान, निदेशक, कट्स संगठन, ने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रचालन समिति के घटन की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने में अनिच्छा पर प्रकाश डाला। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रचालन समिति की रिपोर्ट एवं चर्चा का रिकॉर्ड अपनी वेबसाईटों पर उपलब्ध करवाने के लिए कहा तथा उक्त दस्तावेजों को भाखासंमाप्रा को रिकॉर्ड के लिए प्रेषित करने को कहा।

3.2.6 डॉ.अरुण गुप्ता, निदेशक, रेलवे मंत्रालय ने यह सूचित किया कि रेलवे के द्वारा अपने अभिहित अधिकारियों तथा उनके अधिकार क्षेत्र की जानकारी भाखासंमाप्रा को प्रेषित की जा चुकी है।

कार्यसूची-15.4

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन

4.1 निदेशक (प्रवर्तन) ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रचालन समिति तथा 21 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में अपील ट्रिब्यूनल का गठन किया जा चुका है।

4.2 इस पर अध्यक्ष महोदय ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से यह पूछा कि किन-किन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में अभी तक प्रचालन समिति तथा अपील ट्रिब्यूनलों की स्थापना नहीं की गई है तथा इस कार्य में क्या समस्याएं आ रहीं हैं। इस पर अधिकतर खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने यह बताया कि प्रचालन समिति तथा अपील ट्रिब्यूनल के गठन का कार्य अपने अन्तिम चरण में है। इस बिन्दु पर यह निर्णय लिया गया कि ऐसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक डीओ पत्र लिखा जाएगा जहां पर प्रचालन समिति तथा अपील ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया है जिस से कि इस कार्य को शीघ्रता से समाप्त किया जा सके।

4.3 अध्यक्ष महोदय ने मिजोरम तथा सिक्किम के खाद्य आयुक्तों से खाद्य सैम्पल लेने तथा उनको जांचने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए अपील की।

कार्यसूची-15.5

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के क्रियान्वयन में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति

5.1 प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के संसोधित प्रपत्र पर चर्चा की गई। तमिलनाडू के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि गैर-अनुपालन नमूने के विवरण के कॉलम में मद में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उत्पादनकर्ता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, तथा परिवहनकर्ता का विवरण अलग से शामिल किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात का स्पष्टीकरण भी जारी किया जाना चाहिए कि होटलों तथा भोजनालयों से लिये जाने वाले खाद्य उत्पादों के खाद्य नमूने तैयार भोजन से ही लिये जाएं।

5.2 इस संबंध में एक संशोधित प्रपत्र सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रेषित किया जाएगा।

5.3 तमिलनाडु के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एफएसआरएस में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि अभिहित अधिकारी प्रासंगिक आंकडों में वास्तविक समय में मुख्य भुमिका निभा सके। भाखासंमाप्रा के द्वारा एनआईएसजी के समन्वयन में इस प्रस्ताव के अध्ययन की सम्भावना का हल निकाला जाएगा।

5.4 अभिहित अधिकारी, चण्डीगढ ने यह मामला उठाया कि जब राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अनुज्ञप्तिधारक खाद्य व्यापारकर्ताओं का डाटा भेजते हैं तो यह गलत प्रतीत होता है क्यों कि अक्सर एक अनुज्ञप्ति पर एक से अधिक खाद्य व्यापारकर्ता व्यापारिक गतिविधियां करते है जिससे कि कुल व्यापारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि एनआईएसजी इस समस्या के समाधान के लिए हल निकालेगी।

5.5 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह अनुरोध किया गया कि वे भाखासंमाप्रा नियमित रुप से छ:माही आधार पर अनुज्ञप्ती/पंजीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5.6 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत प्रशासनिक व्यवस्था परिशिष्ट-II में दी गई है।

कार्यसूची 15.6

एफएलआरएस का क्रियान्वयन

6.1 श्री आई.एन.मूर्ती, महा प्रबंधक, एनआईएसजी ने एक खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली की स्थिती पर एक प्रस्तुती दी। इस प्रस्तुतीकरण का उद्धेश्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या पर प्रकाश डालना था जिन के द्वारा ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू किया जा चुका है। इस संबंध में एनआईएसजी के द्वारा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया था तथा खाद्य अधिकारियों तथा अभिहित अधिकारियों के द्वारा पंजीकरण तथा अनुज्ञप्ति में लिये जाने वाले समय का सांखियकीय आंकडे इस प्रस्तुतीकरण में दर्शाए गए।

6.2 निदेशक, प्रवर्तन ने समिति को सूचित किया कि आज दिनांक तक 30 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू कर दिया है। संयुक्त नियंत्रक, मध्य प्रदेश के द्वारा सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा 100 प्रतिशत ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा कि बाकि के बचे हुऐ 6 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अभी तक ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू क्यों नहीं किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नागालैण्ड राज्य ने यह सूचित किया कि ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू करने में इन्टरनेट कन्नेक्टिविटी तथा आधारभूत ढांचे की कमी के कारण इसको लागू करने में समस्या आ रही है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तथा जम्मू-कश्मीर ने यह सूचित किया कि वे इस वर्ष के अन्त तक ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू कर देंगे।

6.3 अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि बाकि के बचे हुऐ छः राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को पहले कुछ जिलों में लागू करें तथा बाद में पूरे राज्य में लागू करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को शीघ्र ही सामान्य प्रकिया में अपनाया जाएं क्यों कि यह एक प्रभावशाली माध्यम है जिससे कि सम्पूर्ण देश में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम को लागू किया जा सकता है।

6.4 चर्चा के दौरान, यह भी बिन्दु प्रकाश में लाया गया कि जिन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू किया है उन राज्यों में भी 10 लाख से अधिक मैन्युअल प्रार्थना-पत्रों को ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली में प्रविष्ट करने का कार्य लम्बित है। ऑफ-लाईन प्रविष्ठी सांख्यिकीय के आधार पर यह पाया गया कि ऑन लाईन खाद्य अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्रणाली को लागू करने से पूर्व तमिलनाडु तथा गोवा ने क्रमशः 80% तथा 100% खाद्य अनुज्ञप्ति के लिए मैन्युअल प्रार्थना पत्रों का निपटान कर दिया गया है। इस दौरान यह पाया गया कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इतनी बडी मात्रा में लम्बित प्रार्थना पत्रों का कारण डेटा एन्ट्री ऑपरेटरों की भर्ती हेतु धन का अभाव है। अध्यक्ष महोदय इस पर सहमत हुए कि इस संबंध में भाखासंमाप्रा एनआईएसजी के साथ मिलकर इस मामले के समाधान में सहयोग प्रदान करेगा। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय ने सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से यह अनुरोध किया कि वे लम्बित मामलों के निपटारे के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग करें।

कार्यसूची-15.7

खाद्य संरक्षा के लिए निगरानी योजना

7.1 निदेशक, (प्रवर्तन) के द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि 30 जुलाई, 2015 को आयोजित बैठक में सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ खाद्य संरक्षा के लिए निगरानी योजना पर चर्चा की गई थी। यह सूचित किया गया कि राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के द्वारा इस निगरानी योजना को जनवरी के बजाय वर्तमान महीने में ही लागू कर दिया जाना चाहिए।

7.2 निदेशक, (प्रवर्तन) ने यह पुनः दोहराया कि निगरानी योजना में राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के द्वारा अपनी -अपनी महसूस की गई जरुरतों जैसे उपभोग पैटर्न, जोखिम इत्यादि के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। समिति के सभी सदस्यों के द्वारा इस योजना को स्वीकृत किया गया।

कार्यसूची-15.8

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

8.1 भाखासंमाप्रा के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण के लिए नामित संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति पर एक प्रस्तुती समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

8.2 डॉ.अरुण गुप्ता, निदेशक/स्वा.परि.कल्याण, रेलवे मंत्रालय के द्वारा यह मामला उठाया गया कि वर्तमान में कार्यरत् स्वास्थ निरिक्षकों की सेवाएं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर ली जाएं। उन से यह अनुरोध किया गया कि वे इस संबंध में एक स्व-पूर्ण प्रस्ताव भाखासंमाप्रा को प्रेषित करें।

8.3 निदेशक (आयात) ने यह सूचित किया कि यूरोपियन यूनियन के सहयोग से सीआईटीडी के तहत 1 से 4 दिसम्बर 2015 तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तथा जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। संबंधित राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने राज्य से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्मिकों को नामित करें। यह भी सूचित किया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रहना एवं खाना दोनों ही भाखासंमाप्रा के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा तथा यात्रा व्यय संबंधित राज्यों को वहन करने होंगे।

8.4 निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने समिति को भाखासंमाप्रा के द्वारा 16 अक्टूबर, 2015 को उत्पादकों के लिए भोजन आपूर्ति श्रृंखला के प्रारम्भ बिन्दु पर ही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए त्वरित जांच किटों के उपयोग विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के बारे में सूचित किया।

8.5 निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने यह भी सूचित किया कि सार्वजनिक परिक्षकों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका विवरण एवं सूचना निकट भविष्य में दे दी जाएगी।

कार्य सूची-15.9

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मामलों पर विचार-विमर्श

9.1 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा उठाए गये मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। रेफरल प्रयोगशालाओं के मुद्धदे पर चर्चा के दौरान, यह विचार रखा गया कि उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लिया जाने वाला समय बहुत अधिक है। अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि इस बिन्दु पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि इन प्रयोगशालाओं के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लिये जाने वाले औसत समय को निर्धारित किया जा सके।

9.2 निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने विमटा प्रयोगशाला को अनुरोध किया कि उन्नत प्रयोगशाला रीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उसी को मॉड्यूल के रुप में प्रयोगशाला कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जा सके।

9.3 पश्चिम बंगाल के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने समिति को यह सूचित किया कि कुछ प्रयोगशालाओं ने नमूनों को यह कहते हुए जांचने से मना कर दिया कि इस के एवज में दी जाने वाली रुपये 3000 की धनराशि बहुत कम है। निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने उन से ऐसी प्रयोगशालाओं का नाम पूछा ताकि ऐसी प्रयोगशालाओं के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सके।

9.4 गोवा राज्य का अनुरोध स्वीकार करते हुए कुछ निश्चित पंजीकरण प्रमाण पत्रों जैसे मिड-डे मील, आंगनवाडी इत्यादि पर से प्रार्थी के फोटो हटाने के लिए अध्यक्ष महोदय सहमत हुए।

9.5 ओडिशा राज्य ने खैनी, जर्दा, तथा मावा मशाला पर दिशा-निर्देशों की मांग की तथा इस पर यह सूचित किया गया कि चूंकि यह मामला अभी भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं भारत के अन्य माननीय उच्च न्यायालयों में लम्बित है अत: इस बिन्दु पर इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

9.6 निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने ओडिशा राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को यह सूचित किया कि एमएसजी पर दिशानिर्देश/मानकों को उचित समय पर जारी कर दिया जाएगा।

9.7 कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने यह सूचित किया कि पूर्व में खरीदे गये प्रयोगशाला उपकरण समय के साथ-साथ बेकार तथा अप्रचलित हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कहा कि यदि संभव हो सके तो इन

उपकरणों का निरिक्षण करवाकर इनको उपयोग में लाने लायक बनाना चाहिए। भाखासंमाप्रा शीघ्र ही प्रयोगशालाओं को सक्षम बनाने हेतु अनुदान प्राप्त करने वाली है अनुदान प्राप्त होते ही सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इसे आवंटित कर दिया जाएगा।

9.8 निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने सूचित किया कि अतिविशिष्ट अतिथियों को परोसे जाने वाले भोजन के नमूने लेने के लिए दिशा-निर्देशों तथा फलों, सब्जियों, मीट, तथा मछली के नमूने लेने की पद्धति को भी उचित समय पर जारी कर दिया जाएगा।

9.9 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम को रेलवे अधिकारक्षेत्र में प्रवर्तन के मसले पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि इस मामले को रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाना चाहिए।

9.10 निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन) ने सूचित किया कि माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं को प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अधिसूचित करना संभव नहीं है क्यों कि ये प्रयोगशालाएं प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में नहीं हैं। जहां तक प्रयोगशालाओं की मान्यता की अधिसूचना का संबंध है यह प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति के आधार पर एक अनवरत् प्रक्रिया है।

15.10

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मामले

10.1 अध्यक्ष महोदय ने निजी सदस्यों को भी मुद्धों से संबंधित अपने विचार समिति के समक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। श्री प्रदीप चौरडिया, चौरडिया उद्योग के विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निजी संगठन, उद्योग, तथा उपभोक्ता संगठन अपने विचार बैठक से पूर्व प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि उनके विचारों को भी कार्यसूची में शामिल किया जा सके तथा समिति में इस पर विचार-विमर्श कर सकें।

10.2 अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अपने विचार खाद्य संरक्षा एवं मानक एक्ट, रुल्स एवं अधिनियम में किये गये ससोंधनों पर रखने के लिए अनुरोध किया।

10.3 बैठक का समापन निदेशक, प्रवर्तन के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा किया गया।

10.4 बैठक में किय जाने वाले कार्य बिन्दुओं की सूची परिशिष्ट III पर है।

(राकेश सी.शर्मा)
निदेशक, प्रवर्तन

(आशीष बहुगुणा)
अध्यक्ष/मुकाअ, भाखासंमाप्रा

बैठक में उठाये गये कार्य बिन्दु-

<u>बैठक में विचार विमर्श के आधार पर निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं पर कार्रवाई प्रस्तावित है-</u>

क. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए कार्यबिन्दु

1. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को अपनी टिप्पणियां खाद्य संरक्षा योजना तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार के लाईसेन्स एवं पंजीकरण) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी टिप्पणियां दिनांक 21.10.2015 तक प्रस्तुत करें।

2. सिक्किम तथा मिजोरम राज्य खाद्य नमूने लेना प्रारम्भ करें तथा अपनी निगरानी रिपोर्ट भाखासंमाप्रा को प्रेषित करें।

3. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु समय से पूर्व नामांकन सुनिश्चित करें।

4. राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश अपने अपने राज्यों में संचालन समिति के गठन को शीघ्र पूर्ण करें तथा इसकी सूचना भाखासंमाप्रा को भी प्रस्तुत करें।

5. राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश अपने अपने राज्यों में एक समय सीमा में प्रयोगशालाओं तथा रेफरल प्रयोगशालाओं के द्वारा नमूने की जांच रिपोर्ट को प्रेषित करने में लिये जाने वाले समय पर अध्यन करवाएं।

6. खाद्य संरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल, भाखासंमाप्रा उन प्रयोगशालाओं के नाम बताएं जिन्होनें नमूनों की जांच करने से इन्कार कर दिया था।

7. राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश अप्रचलित उपकरणों का निरिक्षण करवाएं एवं उनको प्रचालन में लेना प्रारम्भ करें।

भाखासंमाप्रा के लिए कार्य-बिन्दु

1. जिन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्यों में अभी तक प्रचालन समिति तथा अपीलीय ट्रिब्युनल का गठन नहीं किया है उन राज्यों के मुख्य सचिवों को एक डीओ पत्र भेजना ।

2. समिति सदस्यों के द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित करते हुए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्रपत्र में संशोधन कर इस प्रपत्र को सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को परिपत्रित करना।

3. एनआईएसजी हैदराबाद के सहयोग से मैन्युअल लम्बित लाईसेन्सों की डाटा प्रविष्टी में आ रही समस्याओं के निवारण में सहयोग करना।

4. रेलवे अधिकारक्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में एक डीओ पत्र रेलवे बोर्ड को प्रेषित करना।

एनआईएसजी के लिए कार्य-बिन्दु

1. एनआईएसजी एफएलआरएस में ऐसे प्रावधान की संभाव्यता पर कार्य करे ताकि अभिहित अधिकारी वास्तविक समय में प्रासंगिक डाटा में मुख्य भूमिका का निर्वाहन कर सकें।

2. एक अनुज्ञप्ति पर एक से अधिक खाद्य व्यापारकर्ता व्यापारिक गतिविधियां करते है जिससे कि कुल व्यापारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एनआईएसजी इस समस्या के समाधान के लिए हल निकालेगी।

3. एनआईएसजी कुछ निश्चित पंजीकरण प्रमाण पत्रों जैसे मिड-डे मील, आंगनवाडी इत्यादि पर से प्रार्थी के फोटो हटाने के मामले का हल निकालेगी।

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, अधिकारी, एफएसएसएआई
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार(मानक) , एफएसएसएआई
3. श्री सुनील बक्शी, सलाहकार(कोडेक्स) , एफएसएसएआई
4. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन/सा0प्र0/प्रशिक्षण/निगरानी),एफएसएसएआई
5. श्री बिमल कु. दुबे, निदेशक (आयात/आईईसी/आईसी/ईएंडए),एफएसएसएआई
6. डा. संध्या काबरा, निदेशक (विधि/गुणवत्ता आश्वासन),एफएसएसएआई
7. डा. रूबीना शाहीन, निदेशक(उत्पाद अनुमोदन),एफएसएसएआई
8. श्री एस.अनूप, सहायक निदेशक(प्रवर्तन),एफएसएसएआई
9. श्री प्रभात कुमार मिश्र, सहायक निदेशक(प्रवर्तन),एफएसएसएआई
10. श्री महितोश कुमार, एसए (प्रवर्तन),एफएसएसएआई
11. श्री एस.मीणा, सहायक निदेशक(सामान्य प्रशासन),एफएसएसएआई
12. श्री अनुपम रस्तौगी, सहायक निदेशक(निगरानी),एफएसएसएआई
13. श्री एस.आर. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संयुक्त विकास आयुक्त मंत्रालय
14. श्री एस.के. पाण्डे, सहायक निदेशक, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
15. डा. सुभाष गुप्ता, संयुक्त आयुक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
16. डा. अरूण गुप्ता, निदेशक/स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, रेल मंत्रालय
17. डा. मेघा खोबरा ग्रडे, डीएडीजी(आईएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18. श्री राजीव मिश्र, आर्थिक सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
19. श्री आर.के.गुप्ता, उपायुक्त, डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय
20. श्री आशीष वी. गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
21. श्री राकेश एस. न्याल, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
22. डा. अवीजीत रॉय, ओएसडी (एफएस), अंडमान निकोबार
23. डा. पी. मॉजिरी, निदेशक पीपीएम, आंध्र प्रदेश
24. श्री यू.के. मित्रा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, अरूणाचल प्रदेश
25. श्री सुखविंदर सिंह, डीओ, चंडीगढ
26. डा. राजेन्द्र शर्मा, डीओ, चंडीगढ़
27. श्रीमती मृणालनी दर्शवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
28. श्री सुनीति कुमार गुप्ता, डीओ, दिल्ली
29. श्रीमती ज्योति सरदेसाई, उपनिदेशक, गोवा
30. श्री वी.आर. शाह, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, दिल्ली

31. श्री एस. नारायण, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
32. श्री रामेश्वर शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन, हिमाचल प्रदेश
33. श्री एम.के. भण्डारी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू तथा कश्मीर
34. डा. एच.एस.शिवाकुमार, संयुक्त निदेशक, कर्नाटक
35. श्रीमती अनुपमा टी.वी. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
36. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्यप्रदेश
37. श्री देवेन्द्र के. वर्मा, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
38. डा. हरदीप काबले, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश
39. श्री गणेश प्रलिकर, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश
40. डा. के.वी.मेथेकर, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र
41. डा.के.रूपारी, प्रिंसिपल निर्देशिका और खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मिजोरम
42. सुश्री लालरिनकिमी पंचन्न, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मिजोरम
43. डा. नरोला एओ, अपर निदेशक, नागालैण्ड
44. श्री बाबाजी चरण दास, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा
45. श्री जी.एल. उपाध्याय, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, पाण्डुचेरी
46. श्री हुसैन लाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
47. डा. नरेश कुमार, राज्य नोडल अधिकारी, पंजाब
48. श्री अशोक कुमार गर्ग, सार्वजनिक विश्लेषक, पंजाब
49. डा. आदित्य अर्टेया, अभिहीत अधिकारी, राजस्थान
50. डा. के.भण्डारी, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, सिक्किम
51. श्री बी.के.सिंह, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, उत्तरप्रदेश
52. श्री विजय बहादुर, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तरप्रदेश
53. श्रीमती गोधुली मुखर्जी, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, पश्चिम बंगाल
54. श्री प्रदीप चौरदिया, एम.डी.चौरदिया खाद्य, पुणे
55. श्री जार्ज चेरीयन, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय कट्स जयपुर
56. डा. एस.पी.वसीरदई, कार्यकारी अध्यक्ष, वीमटा लैब, हैदराबाद
57. श्री जसमीत सिंह, मुख्य खाद्य, फिक्की, दिल्ली
58. श्री अनाम शर्मा, वरिष्ठ सहायक निदेशक, फिक्की, दिल्ली
59. श्री आई.एन. मुर्थी, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद
60. श्री श्रीधर डी, मुर्थी, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

एफएसएस एक्ट, 2006 के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था							
क्रम.सं.	राज्यों के नाम	एफएससी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या	एएसओ की संख्या	संचालन समिति	न्यायाधिकरण
1.	अण्डमान एवं निकोबार दीपसमूह	1	3	3	14	हॉ	हॉ
2.	आध्रप्रदेश	1	13	17	34	हॉ	नहीं
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	20	20	3	हॉ	हॉ
4.	असम	1	27	5	40	हॉ	हॉ
5.	बिहार	1	36	9	14	नहीं	नहीं
6.	चंडीगढ	1	1	2	2	हॉ	हॉ
7.	छत्तीसगढ़	1	27	27	28	नहीं	हॉ
8.	दादर एवं नागर हवेली	1	1	1	1	नहीं	नहीं
9.	दमन एंव दीव	1	2	2	3	हॉ	हॉ
10.	दिल्ली	1	11	9	12	हॉ	हॉ
11.	गोवा	1	2	2	9	नहीं	नहीं
12.	गुजरात	1	33	33	201	नहीं	हॉ
13.	हरियाणा	1	21	21	12	नहीं	हॉ
14.	हिमाचल प्रदेश	1	10	5	4	हॉ	हॉ
15.	जम्मू कश्मीर	1	22	25	87	हॉ	नहीं
16.	झारखंड	1	24	24	202	हॉ	नहीं
17.	कर्नाटक	1	30	36	68	नहीं	नहीं
18.	केरल	1	19	14	66	हॉ	हॉ
19.	लक्ष्यद्वीप	1	1	1	15	नहीं	हॉ
20.	मध्यप्रदेश	1	51	51	182	हॉ	हॉ
21.	महाराष्ट्र	1	7	62	298	हॉ	हॉ
22.	मणीपुर	1	9	9	9	हॉ	नहीं
23.	मेघालय	1	7	3	7	हॉ	हॉ
24.	मिजोरम	1	9	3	12	हॉ	नहीं
25.	नागालैण्ड	1	11	11	11	हॉ	नहीं

26.	ओडिसा	1	34	37	26	नहीं	नहीं
27.	पद्दुचेरी	1	2	1	2	हॉ	नहीं
28.	पंजाब	1	22	22	46	हॉ	हॉ
29.	राजस्थान	1	48	42	87	हॉ	नहीं
30.	सिक्किम	1	4	2	2	नहीं	नहीं
31.	तमिलनाडु	1	32	32	584	हॉ	नहीं
32.	तेलगांना	1	10	15	20	हॉ	नहीं
33.	त्रिपुरा	1	9	9	4	हॉ	हॉ
34.	उत्तराखंड	1	13	13	30	हॉ	हॉ
35.	उत्तरप्रदेश	1	75	38	229	हॉ	हॉ
36.	पश्चिम बंगाल	1	19	19	43	हॉ	हॉ
		36	665	625	2407	26	21